<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली</u>
<u>निदेशक कार्यालय</u>

फा.सं.40-30/2022-स्था.। 18.05.2024

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

<u>विषय: एम्स के मस्जिद मोठ परिसर में नियंत्रित एवं सत्यापित प्रवेश किए जाने संबंधी।</u>

एम्स नई दिल्ली का मस्जिद मोठ परिसर विभिन्न आवासीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहां बहुत अधिक अनधिकृत प्रवेश होते हुए देखा गया है। इससे रोगियों एवं उनके परिचरों के लाभ हेतु एम्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का अनधिकृत रूप से उपयोग हो रहा है। चूंकि उक्त क्षेत्र में रेजीडेंट छात्रावास भी हैं, इसलिए छात्रों एवं स्टाफ सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के आवासीय क्षेत्रों में आने-जाने वाले अनधिकृत वाहनों की आवाजाही भी वांछनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि उक्त गेटों से विभिन्न संदेहास्पद एवं संदिग्ध व्यक्ति भी एम्स परिसर में आवाजाही कर रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में आगमन एवं प्रस्थान करने वालों की जांच एवं सत्यापन कम होता है।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों से मस्जिद मोठ परिसर में प्रवेश को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा तथा आवासीय क्षेत्रों से सटे गेटों से मस्जिद मोठ परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति/वाहन का सत्यापन किया जाएगा।

इसे सुनिश्चित करने के लिए, तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएंगे:

- मस्जिद मोठ परिसर के उन सभी गेटों पर अस्थायी जांच चौकियां बनाई जाएंगी, जहां निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों से किसी भी वाहन अथवा पैदल व्यक्ति का प्रवेश करना संभव है। इसे 30 जून 2024 तक पूरा किया जाए (**कार्रवाई: अधीक्षण अभियंता एम्स**)
- उक्त गेटों पर 24x7 आधार पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। केवल वैध एम्स आईडी कार्ड वाले स्टाफ सदस्यों/छात्रों तथा वैध एम्स अपॉइंटमेंट वाले किसी भी रोगी अथवा उनके परिचरों को ही उक्त गेटों से परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।परिसर में आपातकालीन वाहन, एम्स पार्किंग स्टिकर वाले वाहन तथा एम्स आपातकालीन/ओपीडी/आईपीडी हेतु रोगी को ले जाने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। (**कार्रवाई: मुख्य सुरक्षा अधिकारी**)

हालाँकि, हर बार, यह सुनिश्चित किया जाए कि आपातकालीन स्थिति में किसी भी वास्तविक रोगी को उक्त क्षेत्र के किसी भी गेट से परिसर में प्रवेश करने से रोका न जाए।

प्रो. एम. श्रीनिवास
निदेशक

वितरण:- (इसे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारीगण को भी परिचालित करने के अनुरोध सहित)

1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्रो के प्रमुखगण/अध्यक्ष, एन.सी.आई., झज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. प्रभारी-आचार्य, कंप्यूटर सुविधा

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F. No. 40-30/2022-Estt.I 18.05.2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Controlled & verified access into Masjid Moth Campus of AIIMS reg.

The Masjid Moth Campus of AIIMS New Delhi is surrounded by various residential areas, due to which a lot of trespassing is noted to be happening. This is leading to un-authorized utilization of the facilities provided by AIIMS for the benefits of patients & their attendants. As the said area also houses the resident hostels, movement of unauthorized vehicles going to & from nearby residential areas is also not desirable, keeping in view the safety of the students & staff alike. Also there have been complaints that various touts & unscrupulous elements are entering and exiting the AIIMS Campus from the said gates, as there is a lesser level of checking & verification at these points.

Accordingly, it has been decided that the entry into the Masjid Moth Campus from the adjoining residential areas shall be strictly controlled and every person / vehicle entering the Masjid Moth Campus from the gates adjacent to the residential areas shall be verified.

To ensure the same, the following measures shall be adopted with immediate effect:

- Temporary all weather check posts shall be built at all the gates in the Masjid Moth Campus, wherein any vehicular or pedestrian access is possible from the adjacent residential areas. This shall be completed by 30th June 2024 (**Action: SE AIIMS**)
- Security guards shall be posted on the said gates on 24x7 basis. Staff / students with a valid AIIMS ID card and any patient or their attendant with a valid AIIMS appointment shall only be allowed entry into the campus from the said gates. Emergency vehicles, vehicles with AIIMS parking stickers and vehicles carrying any patients for AIIMS Emergency / OPD / IPD shall be allowed into campus. (**Action: CSO**)

However, at all times, it shall be ensured that no genuine patient in emergency is devoid of access to the campus from any gate in the said area.

18/5/2024

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Prof. I/c Computer Facility